सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 ज्येष्ठ 29, गुरुवार, शाके 1947–जून 19, 2025 अंक 12

Vol. 77 Jyaistha 29, Thursday, Saka 1947–June 19, 2025 No. 12

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

संस्कृत शिक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 09, 2025

संख्या पं.21(3)संस्कृत शिक्षा/2025-02392-7118003 :- यत:, सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को उनकी पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण कर सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियां प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने में समर्थ बनाता है;

और यत:, संस्कृत शिक्षा विभाग, जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, वर्तमान स्कीम मार्गदर्शक सिद्धांतों, जो निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जिसे इसमें इसके पश्चात् क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे हैं, की सीमा के अनुसार पात्र संस्कृत विद्वानों और कर्मचारियों, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् लाभार्थियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, का संस्कृत दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष सम्मान और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए राज्य स्तरीय अवार्ड जिसमें धन की विनिर्दिष्ट रकम सम्मिलित है, के साथ संस्कृत विद्वानों के लिए संस्कृत विद्वत सम्मान समारोह, जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, का प्रशासन कर रहा है;

और यत:, उक्त स्कीम के अधीन, प्रत्येक वर्ष चयनित अभ्यर्थी नकद पुरस्कार, जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, से सम्मानित होंगे;

और यत:, उक्त स्कीम में राजस्थान राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतवर्लित है।

अत:, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की धारा 7 के अनुसरण में राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (i) उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति से उसके द्वारा आधार संख्या धारित करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार प्रमाणीकरण करवाना अपेक्षित होगा।

   (ii) उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित नहीं करता है या, जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, से

उक्त स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, बशर्ते लाभार्थी उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार है, और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जायेंगे।

(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग से अपने क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं, आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई भी आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवायेगा:

परन्तु किसी व्यक्ति को आधार समनुदेशित किये जाने तक, ऐसे व्यक्ति को उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं, निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन दी जायेंगी, अर्थात्:-

(क) यदि उसका नामांकन हो गया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान रसीद; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) फोटो सहित बैंक या डाकघर पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान-पत्र; या

(vi) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा शासकीय लैटर हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटो पहचान-पत्र; या

(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जा सकेगी।

2. उक्त स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के क्रम में, विभाग इसके क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त

अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि लाभार्थियों को उक्त अपेक्षा की जानकारी करवाने के लिए मीडिया के माध्यम से उनमें व्यापक प्रचार किया जाये।

3. उन समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स या किसी भी अन्य कारण से आधार अभिप्रमाणन विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक प्रक्रिया अपनायी जायेगी, अर्थात्:-

(i) अंगुलियों की छाप की खराब गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आंखों की पुतलियों के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जायेगा, एतद्द्वारा निर्बाध रीति से प्रसुविधाओं के प्रदाय के लिए विभाग अपने क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से आंखों की पुतलियों के स्कैनर या अंगुलियों की छाप अधिप्रमाणन के साथ-साथ चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्था करेगा;

(ii) यदि अंगुलियों की छाप या आंखों की पुतलियों के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, आधार वन टाइम पासवर्ड या, यथास्थिति, सीमित समय की वैधता के साथ समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रस्तावित किया जायेगा;

(iii) अन्य समस्त मामलों में, जहां बायोमैट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, तो उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकेंगी, जिसका अभिप्रमाणन आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है और त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त स्कीम के अधीन किसी भी सद्भाविक लाभार्थी को अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित नहीं किया गया है, विभाग अपने क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में रेखांकित अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(कैलाश चन्द्र यादव)

संयुक्त शासन सचिव

DEPARTMENT OF SANSKRIT EDUCATION
NOTIFICATION
Jaipur, June 09, 2025

F. 21(3)Sanskritedu./2025-02392-7118003 .- Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services of benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Sanskrit Education Department, hereinafter referred to as the Department, is administering the Sanskrit Vidvat Samman Samaaroh for Sanskrit Scholars, hereinafter referred to the scheme, to honor and reward every year on the occasion of Sanskrit Divas with State level award which includes specific amount of money to eligible Sanskrit Scholars and employees, hereinafter referred to as the beneficiaries, as per the extent scheme guidelines which is being implemented through the Directorate Sanskrit Education Department, hereinafter referred to as the Implementing Agency;

And whereas, under the said scheme, every year selected candidates honored with cash reward, hereinafter referred to as the benefit;

And whereas, the said scheme involves recurring expenditure incurred from the consolidated fund of State of Rajasthan;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery on Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act No. 18 of 2016), hereinafter referred to as the said Act, the State Government hereby notifies the following, namely:-

1. (i) An individual eligible for receiving the benefits under the said scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo aadhaar authentication.

(ii) Any individual desirous of availing benefits under the said scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make an application for Aadhaar enrolment before registering for the said scheme provided that beneficiary is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment center (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries, who are not yet enrolled for Aadhar and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolement facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual benefits under the said scheme shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:-

(a) if he has enrolled, his Aadhaar enrolment identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely:-

(i) Bank or Post Office passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration card; or

(v) Voter Identity card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) ;or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) Any other document as specified by the Department.

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the said scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(i) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(ii) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar one time password or time based One Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(iii) in all other cases where biometric or Aadhaar one time password or Time based One Time Password authentication is not possible, benefits under the said scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) Code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the said scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the office memorandum of DBT mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order of the Governor,

Kailash Chandra yadav,
Joint Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।